भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2498

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अन्तर्गत खाली पड़े मकानों का कब्जा देने के लिए उठाया जा रहा कदम

†2498. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत निर्मित लगभग 47 प्रतिशत मकान खाली पड़े हैं तथा इस योजना के अंतर्गत निर्मित लगभग 70 प्रतिशत मकान, विशेष रूप से इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) वर्टिकल में खाली पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पीएमएवाई-यू के अंतर्गत निर्मित आवासों में अधिभोग में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है। लाभार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न घटकों के तहत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और पूर्ण हो चुके आवासों के आवंटन सहित क्रियान्वयन का काम राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किए जाते हैं। दिनांक 03.03.2025 तक, इस योजना के तहत शुरू से अब तक कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 112.46 लाख आवासों का निर्माण शुरू किया गया है, जिनमें से 90.60 लाख आवास पूरे हो चुके हैं और 87.52 लाख आवासों में लोग रह रहे हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

योजना अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, को वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। समीक्षा बैठकों के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया गया एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय एएचपी/आईएसएसआर आवासों को सौंपना है। नागरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करके और प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों को आवंटन सुनिश्चित करके पीएमएवाई-यू के एएचपी/आईएसएसआर घटक के तहत आवास को सौंपने में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। मंत्रालय शेष आवासों को पूरा करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें लाभार्थियों को सौंपना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है, ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थी द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके। इसके अलावा, उन 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 6.75 लाख से अधिक आवासों का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है, जिन्होंने बेघरों सहित पात्र लाभार्थियों के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

*****